



क्रमांक २१ /बै.प्र./स्थायी समिति/2020

बिलासपुर दिनांक : 11.03.2020

॥ कार्यालयीय ज्ञाप ॥

कार्यालयीय ज्ञाप क्र.198/बै.प्र./स्थायी समिति/19 दिनांक 23.12.2019 की निरंतरता में, केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 29 एवं परिनियम क्रमांक-38 के तहत निर्मित विनियम के प्रावधानानुसार, कुलपति महोदया द्वारा प्रो० एस.एस. सिंह, आचार्य-वानिकी, अधिष्ठाता प्राकृतिक संसाधन विद्यापीठ को विद्यापरिषद की स्थायी समिति में सदस्य नामांकित किया गया है।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति में उपरोक्त सदस्य का कार्यकाल विद्यापीठ के अधिष्ठाता के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा।

आदेशानुसार


कुलसचिव (कार्यवाहक)

पृ०क्रमांक २२ /बै.प्र./स्थायी समिति/2020

बिलासपुर दिनांक : 11.03.2020

प्रतिलिपि -

01. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
02. कुलपति के सचिव की ओर कुलपति महोदया के सूचनार्थ प्रेषित।
03. प्रो० एस.एस. सिंह, आचार्य-वानिकी, अधिष्ठाता प्राकृतिक संसाधन विद्यापीठ को सूचनार्थ।
04. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ।
05. विश्वविद्यालय वेब पटल प्रभारी/निदेशक, आई.क्यू.ए.सी. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


कुलसचिव (कार्यवाहक)